भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5514

उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

कॅयर क्षेत्र में संकट

5514. **एडवोकेट अदूर प्रकाशः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नाममात्र मजदूरी और कम रोजगार दिवसों के कारण कॅयर बुनकरों की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि केरल में कॅयर बुनकरों की दैनिक मजदूरी में कई वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार कॅयर क्षेत्र के संकट को दूर करने और कॅयर बुनकरों की दैनिक मजदूरी में संशोधन करने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय, कयर बोर्ड द्वारा कयर श्रमिकों को नाममात्र मजदूरी का प्रबंधन नहीं किया जाता है। केरल सरकार समय-समय पर विनिर्माताओं द्वारा श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित करती है।

(ग): 'कयर विकास योजना' के अंतर्गत घरेलू बाजार संवर्धन घटक के माध्यम से कयर बोर्ड, कयर क्षेत्र में राज्य सहायता प्राप्त संगठनों जैसे शीर्ष सहकारी समितियों, केंद्रीय सहकारी समितियों, प्राथमिक सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई), शोरूम, बिक्री डिपो आदि के लिए राज्य सरकारों को बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान करता है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कयर उत्पादों की औसत वार्षिक बिक्री कारोबार के 10% की दर से एमडीए प्रदान किया जाता है तथा इसे केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के बीच 1:1 के आधार पर साझा किया जाता है।

****